

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 44/2017

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोजेन्ट

नारायणसिंह पुत्र बालुसिंह जाति रावत
निवासी रावतखेडा तहसील रियाबडी।

उप तहसीलदार, भैरुन्दा।

उपस्थिति :-

1. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 16.11.17

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरुन्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 65/2016 सरकार बनाम नारायणसिंह में निर्णय दिनांक 21.02.2017 के तहत मौजा रावतखेडा के खसरा नं. 909 रकबा 8 बीघा बरानी-2 भूमि से बेदखली, शास्ति एवं सिविल कारावास के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 9.3.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 24.3.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

[2](II)-अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में अपीलांत का हठधर्मिता पर अडिग होने और गत पेशी पर अतिक्रमण हटाने का समय मांगने और उसके द्वारा नहीं हटाने के कारण उसके विरुद्ध ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होना लिखा है। जबकि उक्त आधार के आधार पर धारा 91 के तहत अपीलांत के विरुद्ध आदेश पारित किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं था। जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

[2](III)-अधीनस्थ न्यायालय ने भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के बयानों को आधार माना है, जबकि उक्त दोनों गवाह के बयानों के संबंध में अपीलांत को जिरह करने का अवसर तक नहीं दिया है और एकपक्षीय बयानों को मानने का कोई विधि सम्मत आधार भी नहीं है। इसके अलावा अपीलांत के द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में बिना कोई निष्कर्ष दिये जो निर्णय पारित किया है, वो पूर्णतया एकपक्षीय रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिया है। क्योंकि अपीलांत के पुराने कब्जे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी तक नहीं की है, इसके अलावा उक्त निर्णय में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया है, जिससे अपीलांत के विरुद्ध ऐसा कठोर निर्णय पारित करना न्यायोचित हो, जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

[2](IV)-अपीलांत के द्वारा खसरा नं. 909 रकबा 8 बीघा ग्राम रावतखेडा की भूमि पर वर्षों से कब्जा काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा है, जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, तो ऐसी स्थिति में नियमित वाद के विचाराधीन रहते धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं था, फिर भी उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वो खारिज होने योग्य है।

[2](V)-खसरा नं. 909 रकबा 67 बीघा 4 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि पर अपीलांत का राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व बतौर काश्तकार निर्बाध, शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, जिसमें किसी के द्वारा दखल अंदाजी नहीं की गई थी। परंतु अपीलांत के अनपढ होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उसके खातेदारी में इन्द्राज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत प्रकार से प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अपीलांत का कब्जा



अपर कलक्टर, नागौर

पुराना चला आ रहा है। इसके अलावा जिस भूमि पर अपीलांट का कब्जा है, वो भूमि बारानी दायम भूमि है, जो किसी भी प्रकार से धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि नहीं है और उपरोक्त भूमि पर अपीलांट ने वर्षों की मेहनत व लाखों रु. व्यय कर इस भूमि को उपजाऊ बनाया है और जिस पर काश्त करके अपनी आजीविका चलाता है। उक्त भूमि नियमन योग्य है एवं अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त होने से ऐसी भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को पुराने कब्जे के नियमन हेतु संबंधित नियमन कमेटी को सिफारिश किया जाना था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट के विरुद्ध जो निर्णय जैर अपील पारित किया है, वो खारिज होने योग्य है।

[2](VI)-अपीलांट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण केवलमात्र स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर करवायी गयी है। जबकि अपीलांट का मामला पूर्णतया नियमन योग्य बनता है तथा राज. सरकार के विभिन्न परिपत्रों में ऐसी भूमियों में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट जो कि एक गरीब काश्तकार है, को उक्त भूमि का नियमन के लिये लिखा जाना चाहिये था, परंतु इसके विपरीत अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पूर्णतया अमानवीय, अवैधानिक व अनुचित है, जो खारिज होने योग्य है। अपीलांट द्वारा भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा लेना का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा निरस्त की जानी चाहिये।

[3]-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा रावतखेडा में स्थित बारानी-2 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि राजकीय भूमि है। इससे पूर्व में दिनांक 06.01.16 को भौतिक रूप से बेदखली भी की गई है तथा पश्चातवृत्ति अतिक्रमण होने पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रावतखेडा के खसरा नंबर 909 रकबा 8 बीघा बारानी-2 राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इससे पूर्व भौतिक रूप से बेदखली किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 06.01.16 जो कि अपीलांट की मौजूदगी में बनाया गया है, से भी साबित है तथा उक्त भौतिक बेदखली को भू अभिलेख निरीक्षक के बयान दिनांक 14.7.16 से साबित भी कराया गया है। इस प्रकार पश्चातवृत्ति अतिक्रमण किया जाना बेखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर